

कार्यालय, आयकर निदेशक (छूट)

छठी मंजिल, पीरामल चैम्बर्स, लालबाग मुंबई 400012.

आदेश संख्या : आ.नि.(छूट)/मु.न./80-जी/1458/2006/2007-08

दिनांक रः 08/05/2007

निर्धारिता का नाम और पता : SHREE PANDIT RATANCHADRAJI JAIN KANYASHALA TRUST

Kama Lane, Ratan Baug, Ghatkopar(W), Mumbai-86

12A रजिस्ट्रेशन सं. : TR/282 dated 19/08/1979

स्था.ले.सं : AAB TS 8095 A **PAN No**

आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2007 से 31/03/2010 तक वैध)

(प्रारंभिक / नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन / आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत उपधारा (5) के शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरुपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्था को 80-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है -

- i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा 80-जी (5) (iv) के अधीन - धारा 12ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.
 - ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.
 - iii) न्यास / संस्था के विलेख (deed) में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.
 - iv) यदि संस्था धारा 80-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 12(ए), धारा 12ए(1)(बी) के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा 10(23), 10(23सी)-(vi)(ए-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा 80-जी(5)(i)(ए) के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी. साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.
 - v) धारा 80-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा
 - vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रातेबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरुपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.
 - vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.
 - viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा 80-जी (5)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.
 - x) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए देशों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.
 - xi) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.
 - xii) धार्मिक व्यय कुल आय के 5% से अधिक नहीं होगा.
- आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80 जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.



sdv
(बी.के.सिंह)

आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.

तिलिपि - 1.) आवेदक 2.) गार्ड फाईल

BY VIRTUE OF THE AMENDMENT MADE BY THE FINANCE (NO 2) ACT 2008, W.E.F 01.10.2008 ALL THE REGISTERED CHARITABLE TRUST WHO HAS BEEN ISSUED CERTIFICATE DO 80-G EXPIRES ON OR AFTER 01.10.2009 RENEWED PERPETUALLY.

CERTIFIED TRUE COPY
S.R.J. KANYASHALA TRUST

Ashu
TRUSTEE

मं.ब.
(मनुजलाल बेठा)

आयकर अधिकारी (तकनीकी),
कृते आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.